विदेश मंत्री एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री भारत



Minister of External Affairs & Overseas Indian Affairs India

सुषमा स्वराज Sushma Swaraj

Message

I am pleased that the Ministry of External Affairs and its subordinate office, the Central Passport Organisation is observing the second 'Passport Seva Divas' on the 24th June, 2014. The occasion marks the enactment of the Passports Acts, 1967 and its enabling provisions of passport issuance. On this occasion, I felicitate all the Passport Issuing Authorities in India and abroad.

Passport services are an important interface of the Ministry with the citizens of India and time-bound, responsive and transparent service delivery is of utmost importance. While the IT-driven Passport Seva Project has been transformative in many aspects, we have to achieve many more milestones to make the processes simpler and more accessible for common citizens and strive for scale and speed to respond to their needs and aspirations.

One of the main planks of the mandate of the present Government is good governance, encompassing timely, effective, assured, transparent and accountable service delivery. The Government is committed to introduce citizen-friendly administrative reforms and policies aimed at restoring faith of the people in the system and bringing qualitative changes in their lives.

To achieve these objectives, let us pledge, on this august day, to join our hands together and take assertive steps to make our passport issuance system truly world class.

Sushma Swaraj

20 June, 2014

विदेश मंत्री एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री भारत



Minister of External Affairs & Overseas Indian Affairs India

सुषमा स्वराज Sushma Swaraj

संदेश

मुझे अत्यन्त खुशी है कि विदेश मंत्रालय तथा इसका अधीनस्थ कार्यालय- 'केंद्रीय पासपोर्ट संगठन'- 24 जून, 2014 को द्वितीय 'पासपोर्ट सेवा दिवस' मना रहा है। इस अवसर पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 तथा पासपोर्ट जारी करने संबंधी इसके समर्थकारी प्रावधानों का स्मरण करना समीचीन होगा। इस अवसर पर, मैं भारत तथा विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को बधाई देती हूँ।

पासपोर्ट सेवाएं मंत्रालय तथा भारत के नागरिकों के परस्पर सम्पर्क का महत्वपूर्ण माध्यम हैं तथा इन सेवाओं को समयबद्ध, जिम्मेवार व पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से पासपोर्ट सेवा परियोजना के कई पहलुओं में परिवर्तन आया है, फिर भी इस प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने हेतु हमें और कई कार्य करने होंगे तथा आमजनों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु समस्त प्रक्रिया को मानक एवं द्रुत बनाने की भरपूर कोशिश करनी होगी।

वर्तमान सरकार के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण आयाम बेहतर अभिशासन है और इसमें सामयिक, कारगर, सुनिश्चित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सेवा सुपुर्दगी शामिल है। सरकार नागरिक-हितैषी प्रशासनिक सुधारों को लागू करने तथा प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करने वाली नीतियां बनाने और लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आज इस विशेष दिवस पर हम यह शपथ लें कि हम मिलकर कार्य करेंगे और पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाएंगे।

20 जून, 2014

द्यापमा स्वराज)